तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामेश्वरलाल वगै बनाम गोमती वगै. अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर – 11/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने दिनांक 02.02.1982 ईन्तकाल संख्या 231 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का मुख्य धन्धा खेती व पशुपालन का है आबादी से चिपता रकबा पश्चिमी भाग खसरा नम्बर 103 आबादी के सही माप के बिना अपीलान्टस की करीब 60 साल से पुस्तेनी आबादी है। उक्त नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 02.02. 1982 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन है जिस पर वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्तियां पेश की गई जिस पर बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी प्राथमिक आपत्ति द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुवे निवेदन किया गया की अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा मे इन्तकाल संख्या 231 दिनांक 02.02.1982 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो संधारण योग्य नहीं है। उक्त इन्तकाल संख्या 231 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश क्रमांक 530 दिनांक 16.10. 1981 के आदेश की पालना मे दर्ज किया गया है। उक्त अपील मूल आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। मूल आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित किया गया है। जो श्रीमान न्यायालय के ही समकक्ष है। इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का वादगत भूमि मे किसी प्रकार हित निहित नहीं है। इसीलिये अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की Locus Standai नहीं है। अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्तियां खारिज करने का निवेदन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की पत्रावली अभी मौका रिपोर्ट पर विचाराधीन है । मौका पर अपीलांट आवास तथा अन्य बीपीएल आदि आवास है तथा बिजली पानी के कनेक्शन के साथ करीब 60 साल से निवास कर रहे है। उक्त नामान्तरण मेन्टेन रहेने से अपूर्तनिय क्षति संभावित है । अतः प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्तियां खारिज करने का निवेदन किया गया। हमने प्राथमिक विधिक आपत्ति पर उभय पक्ष बहस सुनी। दिनांक 02.02. 1982 ईन्तकाल संख्या 231 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की करीब 60 साल से पुस्तेनी आबादी है जो उक्त ईन्तकाल से प्रभावित है। परन्तु प्रस्तुत बहस मे प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्ति के सम्बन्ध मे कोई ठोह बहस पेश नहीं की है। जबकी मुताबिक पत्रावली शामिल दस्तावेजो से स्पष्ट है की उक्त ईन्तकाल श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 16.10.1981 से किया गया है उक्त मूल आदेश की अपील की जानी थी जबकी अपीलान्ट द्वारा केवल नामान्तकरण की अपील की गई जो क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकारी नहीं होने से संधारण योग्य नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा प्राथमिक आपत्ति खारिज के पक्ष मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह माना जावे की विधिक प्राथमिक आपत्तिया स्वीकार योग्य नही हैं। अतः प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक प्राथमिक आपत्तिया स्वीकार किया जाता है। अपील क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकार लूणकरनसर उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	